अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 431/23 (सीआईएस 431/23)

गोपाल बंसल बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस सं. 431 / 2023

गोपाल बंसल बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 04.06.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द गोयल उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह उपस्थित। अप्राथी। सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार वशिष्ठ उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 4 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

''अतः रेफरेंस प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि:–

क– प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण निर्णित फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के स्वामित्व की संपत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या ए–57, महाराणा प्रतापनगर, केशव विद्यापीठ के पास, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर, से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें, उक्त संपत्ति के किसी भी भाग, हिस्से में किसी प्रकार की तोड–फोड, ध्वस्ती की कार्यवाही नहीं करें तथा प्रार्थी द्वारा किये जा रहे संपत्ति के उपयोग–उपभोग व निर्माण कार्य कराने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलंदाजी नहीं करें। ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि, वर्कमेन, इत्यादि से करावें।''

जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

'' जविप्रा अवैध निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।''

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

''रेफरेन्सकर्ता द्वारा फर्जी व कूट रचित रूप से ए– 57 भूखण्ड के आवंटन पत्र, साईट प्लान बेकडेट में तैयार किये गये है। जिनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की महाराणा प्रताप नगर योजना का मानचित्र जविप्रा के जोन कार्यालय में स्थित है। जिसका सूचना के अधिकार के तहत योजना मानचित्र उत्तरदाता द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त योजना मानचित्र में भी भूखण्ड संख्या ए– 57 का अस्तित्व नहीं है। अवैध रूप से सरकारी रोड की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य मात्र से फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार किये गये है। उत्तरदाता के स्वामित्व की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की ओर 30 फीट की रोड स्थित है जिसको महाराणा प्रताप नगर के

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 431/13 (सीआईएस 431/13)

[illegible] बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योजना मानचित्र में भी दर्शाया गया है। उत्तरदाता द्वारा कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2013 को कय किया हुआ है। रेफरेन्सकर्ता येनकेन प्रकारेण फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उत्तरदाता की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित 30 फीट रोड की भूमि में अतिक्रमण करने की अवैध मंशा रखता है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथाकथित दस्तावेज तैयार किये गये है रेफरेन्सकर्ता द्वारा अवैध रूप से सरकारी 30 फीट रोड पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से जबरन बाउण्ड्रीवॉल बनाने का प्रयास किया गया था। जिस पर प्रार्थी व कॉलोनीवासियो की शिकायत पर समुचित जांच परीक्षण कर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बाउण्ड्रीवॉल निर्माण को ध्वस्त किया गया है। उक्त कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्र में भी किया गया था। रेफरेन्सकर्ता को प्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की ओर स्थित 30 फीट रोड पर अतिक्रमण करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है उत्तरदाता की भूमि के आगे स्थित 30 फीट रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। जिसका रेफरेन्सकर्ता को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।''

सुना गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

1. जविप्रा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कार्यवाही करे।
2. शेष अनुतोष हेतु रेफरेंसकर्ता सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष हेतु कार्यवाही करे।

रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।